न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :— 28 / 2020

1. रामेश्वर पुत्र प्रभूराम
2. ताराचन्द पुत्र प्रभूराम
3. उमराव पुत्र प्रभूराम

समस्त जातियान् गुर्जर निवासी ढाणी उपलास्वामी तन खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटपूतली ब उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रामेश्वर वगैरह मुकदमा नम्बर 112 / 2020 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट आदेश दिनांक 09 / 7 / 2020 बाबत खसरा नम्बर 140 / 0.98 वाके ग्राम पिचाणी पटवार हल्का खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)</u>

निर्णय दिनांक 17.3.2021

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के ब उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामेश्वर मुकदमा नम्बर 112 / 2020 वाके ग्राम पिचाणी बाबत ख.नं. 140 / 0.98 धारा 91 में पारित आदेश 09 / 7 / 2020 के विरूद्व व्यथित होकर अपील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :—

1. यह है कि हल्का पटवारी खडब ने तहसीलदार कोटपूतली के यहां एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत् 2077 में वाके ग्राम पिचाणी तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 140 / 0.98 में से 0.02 है0 भूमि पर रामेश्वर वगैरह पुत्र प्रभूराम जाति गुर्जर ढाणी उपलास्वामी तन खडब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान ने पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है, जिस पर तहसीलदार कोटपूतली ने अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं बिना जवाब दिये ही दिनांक 09 / 7 / 2020 को अपीलान्ट को 0.02 है0 भूमि पर अतिकमण घोषित करते हुए बेदखली व पैनल्टी वसूली के आदेश प्रदान किये जिसके विरूद्व यह अपील पेश की है।
2. यह है कि निर्णय दिनांक 09 / 7 / 2020 पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकुल होने तथा प्रोटेस्ट का निर्णय होने से निरस्तनीय है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

3. यह है कि पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं गया तथा ना ही उसने मौके पर कभी भूमि का नापतोल किया है ना ही पत्थरगढी की है ना ही सीमाज्ञान कराया है। मात्र कयास के आधार पर उसने झूठी रिपोर्ट तैयार कर पेश की है।

4. यह है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया है ना ही कोई निर्माण कार्य किया है। पटवारी हल्का ने बिना मौके की जांच किये गलत रिपोर्ट पेश की है।

5. यह है कि पटवारी की रिपोर्ट मौके की स्थिति के विपरीत है। प्रार्थी/अपीलान्ट का कोई कब्जा भूमि पर नहीं है ना ही उन्होंने किया है, लेकिन गलत रिपोर्ट पेश की है ऐसी स्थिति में निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

6. यह है कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कोई अतिकमण नहीं है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट बनाकर तथा उस रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी के बयानों व उसकी रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे तथा प्रार्थी को सुनवायी का मौका दिये बिना निर्णय देने में भूल की है।

7. यह है कि तहसीलदार कोटपूतली ने अपीलान्ट को जवाब देही का मौका नहीं दिया ना ही जवाब बन्द किया ना ही बहस सुनी गयी । अपनी मनमर्जी से निर्णय दिनांक 09/7/2020 पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

8. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

9. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट के प्रावधान व उस पर प्रतिपादित सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

10. यह है कि अपील निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है एवं अपील अन्दर मियाद पेश है तथा माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार कोटपूतली ब उनवानी मुकदमा सरकार बनाम रामेश्वर वगैरह मुकदमा नम्बर 112/2020 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रैंवन्यु एक्ट आदेश दिनांक 09/7/2020 बाबत खसरा नम्बर 140/0.98 है0 वाके ग्राम पिचाणी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान को निरस्त फरमाया जावें तथा अपील मंजूर की जाकर कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

11. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किये गये।

12. प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली से सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु बार-बार लिखे जाने एवं हिदायत दिये जाने के उपरान्त भी सीमाज्ञान की रिपोर्ट तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पेश नहीं की गयी। इसलिए उक्त वांछित सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त होने बन्द की जाकर प्रकरण को बहस में नियत किया गया।

13. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा धारा 91 एल.आर एक्ट के तहत् अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही कर आराजी ख.नं. 140/0.98 है0 किस्म गै.मु. पहाड

में से 0.02 है0 भूमि पर नाजायज रूप से अपीलान्ट / प्रार्थी द्वारा पुख्ता निर्माण बताया जाकर अतिक्रमण मानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश तथा पैनल्टी के आदेश दिनांक 09/7/2020 पारित किये गये है, जबकि अपीलान्ट / प्रार्थी द्वारा उक्त गै.मु. पहाड की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने मौके की गलत रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है, जबकि पटवारी हल्का कभी मौके पर नहीं गया ना ही उसने कभी उक्त भूमि की नाप तौल की ना ही पत्थरगढी की तथा ना ही सीमाज्ञान कराया मात्र कयास के आधार पर बिना मौके की जांच किये झूठी रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सुनवायीका समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना जवाब प्राप्त किये तथा बिना मौके देखे अपनी मनमर्जी से दिनांक 09/7/2020 को अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित कर दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित है। अपीलान्ट का उक्त आराजी ख.नं. में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। ख.नं. 140 गै.मु. पहाड के लगता हुआ ख.नं. 141 है जो आबादी का है उसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये है। इसलिए पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित 09/7/2020 को खारिज फरमावें तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश फरमावें साथ ही वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में यह भी कथन किया है कि ग्राम पंचायत शुक्लाबास प. सं. कोटपूतली द्वारा उनके कमांक/SP1/01 दिनांक 25/02/2021 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जयपुर को ग्राम पिचाणी के आ.ख.नं. 140 में पुराने समय से बसी आबादी के नियमन हेतु किस्म बदलने के कम में पत्र जारी किया है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार के कमांक/क.एफ-4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पं. रा/2017/1104 जयपुर दिनांक 03/10/2017 के अनुसार सभी जिला कलक्टरस महोदय को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार भूमि पर बने आवास ग्रहों के पट्टे दिये जाने बाबत आदेशित किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत् सेट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपभोग कर लिया है। उस भूमि को भी आबादी के विकास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जावें तथा ग्राम पंचायत अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसी अतिक्रमी से राशि लेकर आबादी के पट्टे जारी कर सकते है। इसके अलावा (राजस्व ग्रुप 6) विभाग राजस्थान सरकार कमांक प. 9 (6) राज-6/2000/1 दिनांक 10/01/2013 के द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त महोदय एवं समस्त जिला कलक्टर्स को जारी प्रपत्र क. 9(6) राज-6/2000/02 दिनांक 30/01/2006 के द्वारा अधिसूचित समस्त ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक एवं अन्य गै.मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 01/01/1995 से पूर्व आवास ग्रह एवं जानवरों के बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के आदेश जारी किये गये है। सिवायचक भूमि गै.मु. भूमि पर 01 जनवरी 2005 से पूर्व मकान या बाडा बनाकर अतिक्रमण कर लिया हो तो उसमें एक रूपया प्रति वर्गगज प्रिमियम लिया जाकर 500 वर्गगज के क्षेत्र तक मामलों का नियमन किया जाकर मालिकाना हक दे दिया जावें। साथ ही वकील अपीलान्ट द्वारा ग्रामीण विकास

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

एवं पंचायती राज विभाग क्रमांक/एफ 17(ई) ग्रविप/प्रशा.2/विफा.यो/पंचा./शिविर/2016/2775 जयपुर दिनांक 30/6/2016 के कार्यालय आदेश की प्रति राजस्थान (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(6) राज–6/2000/10 जयपुर दिनांक 07/9/2017 ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आवंटन के सम्बन्ध में पेश किया है जो संलग्न पत्रावली है।

14. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पिचाणी के आ.ख.नं. 140/0.98 है0 किस्म गै.मु. पहाड में से 0.02 है0 भूमि पर नाजायज रूप से पुक्ता निर्माण कर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के तहत् अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 09/7/2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पैनल्टी राशि वसूल करने के आदेश जारी किये है जो अपीलान्ट का आज भी मौके पर अतिक्रमण है। इसलिए अपीलान्ट की अपील खारिज फरमावें।

15. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत तथा दस्तावेजात् प्रस्तुत हुए। उनका अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया गया तो नाया कि प्रकरण धारा 91 एल.आर एक्ट 1956 के तहत् सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने ग्राम पिचाणी के आ.ख.नं. 140/0.98 है0 में से 0.02 है0 भूमि पर अपीलान्ट का नाजायज रूप से पुक्ता निर्माण बताकर अतिक्रमण होना मानकर दिनांक 09/7/2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना पैनल्टी आरोपित कर निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना प्रकुरण में जवाब प्राप्त किये उक्त निर्णय पारित कर दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है, जबकि अपीलान्ट का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि ख.नं. 140 गै.मु. पहाड के लगती हुयी भूमि ख.नं. 141 है जो आबादी की भूमि है। उक्त आबादी भूमि में ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी कर रखे है। अपीलान्ट का पुक्ता निर्माण काफी वर्षों से है। मात्र राजनैतिक द्विवेष्ता के चलते पटवारी हल्का ने मात्र कयास के आधार पर बिना नापतोल किये बिना सीमाज्ञान किए ही उक्त रिपोर्ट पेश की है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पैनल्टी वसूली के आदेश दिये है। यदि उक्त आराजी ख.नं. 140 किस्म गै.मु. पहाड में अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो ग्रामीण विकास पंचायत राजविभाग राजस्थान सरकार के कुमांक क.एफ.4 (78) सिवायचक/नियमन/विधि/पं.रा/2017/1104 जयपुर दिनांक 03/10/2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास ग्रहों के पट्टे जारी करने के आदेश है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत् सैट अपार्ट की जाने वाली भूमि में से जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उस भूमि को भी आबादी के निवास हेतु ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आवंटित कर दिया जावें तथा ग्रा.पं. अपने नियमों के अन्तर्गत अतिकमी से राशि ली जाकर आबादी के पट्टे जारी कर सकते है। ग्राम पंचायत

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

शुक्लाबास ने अपने पत्रांक SP-1/01 दिनांक 25/02/2021 के द्वारा ग्राम पिचाणी के आ.ख. नं. 140 में पुराने समय से बसी आबादी के नियमन हेतु किस्म परिवर्तन के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को पत्र लिखा जाना वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया है। बहस के समर्थन में (राजस्व ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार क्रमांक प.9(6) राज–6/2000/1 दिनांक 10/01/2013 के द्वारा जारी प्रपत्र तथा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6)/2000/10 दिनांक 07/9/2017 पेश किये है। अतिकमी को बेदखल ना कर राज्य सरकार के आदेशों एवं परिपत्रों की पालना में अतिकमी से राशि प्राप्त करें। आबादी हेतु पट्टा जारी करने की कार्यवाही होनी चाहिए थी किन्तु पटवारी हल्का ने बिना नाप–तौल किये, बिना सीमाज्ञान किये ग्राम पिचाणी में आ.ख.नं. 140 किस्म गै.मु. पहाड में 0.02 है0 पर नाजायज रूप से पुक्ता निर्माण बताया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 09/7/2020 को अपना निर्णय पारित कर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने तथा लगान का 50 गुणा पैनल्टी राशि वसूली के आदेश पारित किये है। जो निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रकरण आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अतः तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलान्ट का आ.ख.नं. 140 किस्म गै.मु. पहाड रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम पीचाणी में से 0.02 है0 पर पुख्ता निर्माण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार नियमन कराने के आदेश प्रदान किये जाते है। तद्नुसार आदेशों की पालना तहसीलदार कोटपूतली करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

16. निर्णय आज दिनांक 17.3.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)